

२६-११-१९ पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में वारीस  
पेशी किंमत १७-१२-१९ निपट थी। प्रार्थी को  
ओर है आज न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत  
कर निवेदन किया कि प्रार्थी आज इस प्रकरण में  
बिना प्रकाश कि कोई कार्यवाही नहीं जा रहा है।  
आज प्रकरण आज ही तलब कर बिना से खारिज  
कराया जावे। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी स्वयं  
ही आज बिना प्रकाश कि कार्यवाही नहीं जा रहा  
है। आह: प्रकरण इसी तलब पर बिना हो जाने के  
आज किंमत २६-११-१९ को वारीस जिया जाता है।  
पत्रावली पेशा हुआ है।

**Mamun**  
उपखण्ड अधिकारी  
बड़गाँव, जिला-उदयपुर

